

23-04-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण लोक अदालत के जारी नोटिस के पालन में आज उपस्थित।

फरियादी/आहत गोमाबाई लोक अदालत के जारी नोटिस के पालन में आज उपस्थित।

उभयपक्ष ने प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ **श्री एस0के0 गुप्ता, एसजे गोहद** का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज ही कुछ समय पश्चात् मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 10.05.18 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा ए डी पी ओ अनुपस्थित।

अभियुक्तगण स्वयं उप०।

फरियादी गोमाबाई स्वयं उप०।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी /आहत गोमाबाई की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री पंकज मिश्रा एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी/आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323, 506 बी.के. अधीन अभियोगपत्र पेश किया गया है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323, 506बी भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की उक्त आरोपों के अधीन दोषमुक्ति होगा।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)